कार्यालय उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का

क्रमांक/ 12474 दिनांक 8/9/11

—: अधिकार पत्र :—

बाघ परियोजना सरिस्का में बसे गांव/गुवाडों के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिये मौजपुर रूंध, तह0 लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में 181.97 हैक्ट0 आरक्षित वन भूमि (राजस्व खसरा नं0 4, 5, 6, 7, 8, 9) चिन्हित की जाकर भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ 8—141/2006—एफसी दि0 29.04.08 से उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हुई है। विस्थापन के संबध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ—11(2) वन/99 दिनांक 02.11.02 एंव भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.04.08 द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं जिला विस्थापन समिति की बैठको में लिए गए निर्णयो की पालना करते हुये **श्री सुल्तान पुत्र ख्याली गूर्जर** के गांव उमरी से विस्थापित होने की एवज में मौजपुर रूंध तहसील लक्ष्मणगढ में 60'x 90' = 5400 sq.ft. का आवास के लिए आवासीय भूखण्ड व 6 बीघा भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित की जाती है। जिसका आवास भूखण्ड मय कृषि भूखण्ड सं0 27 है। उक्त भूमि का मानचित्र एवं माप पुष्ठ पर अंकित है। मानचित्र अनुसार सीमा विवरण निम्नानुसार है:—

उत्तरी सीमा AB	— 159.40 मीटर	सीमा से लगता हुआ	रोड
पश्चिमी सीमा BC	— 97.37 मीटर	सीमा से लगता हुआ भूखण्ड सं0	सड़क/31
दक्षिणी सीमा CD	— 164.40 मीटर	सीमा से लगता हुआ भूखण्ड सं0	21
पूर्वी सीमा DA	— 45.74+51.83 मी.	सीमा से लगता हुआ	28, 29

उक्त आवंटन निम्न शर्ताधीन किया जाता है:—

1. इस वन भूमि को आंवटी स्वयं व परिवार के निवास एवं कृषि कार्य एवं पशुओ के लिये चारा उगाने के लिये ही उपयोग में ले सकेगे। इस भूमि को उक्त कार्य हेतु आवंटी को निरन्तर उपयोग में लेने की अनुमति रहेगी। आंवटी के स्वंय के द्वारा ही कृषि कार्य करना अनिवार्य होगा।
2. उक्त भूमि पर सिचांई हेतु कुआं, टैंक के अतिरिक्त अन्य स्थाई ढांचा नही बनाया जावेगा।
3. इस भूमि का विक्रय नही किया जा सकेगा। यह भूमि उत्तराधिकार के द्वारा ही हस्तान्तरित होगी।
4. उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

उप वन संरक्षक
बाघ परियोजना सरिस्का